RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-05
May-2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[UGC Listed Journal]

विवाह, वर्चस्ववादी व्यवस्था और सामाजिक सहमति

राजलक्ष्मी

शोधार्थी- पी-एच.डी. स्त्री अध्ययन, स्त्री अध्ययन विभाग, म.गां.अं.हि.वि.वि., वर्धा (महाराष्ट्र)

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 25 May 2019

Keywords
विवाह, सामाजिक, वर्चस्ववादी

***Corresponding Author**
Email: rajlakshmikamail[at]gmail.com

ABSTRACT

विवाह एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है और हर समाज में विवाह से संबंधित अपने अलग-अलग रीतिरिवाज होते हैं। परन्तु विवाह के लिए उम्र की बात करें तो लगभग सभी समाजों में लड़की की उम्र लड़के के उम्र की अपेक्षा कम ही रहती है इसके विपरित यदि विवाह के समय लड़कीमोटी हो तो वह विवाह ,लड़के से उम्र में बड़ी हो या शारीरिक रुप से देखने में भी उससे लम्बी, लोगों के आश्चर्य और चर्चा का विषय जरुर बन जाता है। हमारे भारतीय संविधान में भी विवाह के लिए लड़की की उम्र और लड़के की 18उम्र वर्ष निर्धारित की गयी है यहां भी 21 वर्ष छोटी है। किन्तु यहां इस बात पर गौर करना बेहद जरुरी है 3 लड़के से,लड़कीकि संविधान में भी लड़कियों के विवाह की उम्र लड़कों से कम क्यों निर्धारित की गई बराबर क्यों नहीं ? इस संबंध में कुछ बुद्धिजीवी द्वारा यह तर्क दिया जाता हैं कि चूंकि लड़कियां शारीरिक रुप से लड़कों से पहले परिपक्व हो जाती हैं इसलिए ये अंतर है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या एक लड़की को विवाह के लिए सिर्फ उसका शारीरिक रुप से ही परिपक्व होना जरुरी है या मानसिक रुप से भी परिपक्व होना उतना ही जरुरी है ? विवाह के उम्र के संबंध में विज्ञानपरंपरा और कानून इन तीनों का क्या तर्क है और , विवाह के उम्र के आधार पर समाज में किस प्रकार का लैंगिक वर्चस्व स्थापित है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर तलाशने की कोशिश इस पेपर के माध्यम से की जाएगी।

विवाह एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है और हर समाज में विवाह से संबंधित अपने अलगअलग रीति- रिवाज होते हैं। परन्तु विवाह के लिए उम्र की बात करें तो लगभग सभी समाजों में लड़की की उम्र लड़के के उम्र की अपेक्षा कम ही रहती है इसके विपरीत यदि विवाह के समय लड़की ,लड़के से उम्र में बड़ी हो या शारीरिक रुप से देखने में भी उससे लम्बी ,मोटी हो तो वह विवाह लोगों के आश्चर्य और चर्चा का विषय जरुर बन जाता है। विवाह की उम्र के माध्यम से भी पुरुषवादी वर्चस्व एक पुरुष द्वारा महिला पर इस तरह स्थापित किया जाता है कि महिलाएँ इसे वर्चस्व न मानकर बड़े ही सहजता से स्वीकार करती हैऔर अपनी सहमति , प्रदान करती है। इसे हम ग्रामशी के वर्चस्व के सिद्धांत के आधार पर समझ सकते है। जिसमें उन्होंने सहमति केआधार पर वर्चस्व स्थापित करने के बारे में बताया है कि ,"व्यक्ति के रोज़मर्रा के जीवन में वर्चस्व एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति पर कायम किया जाता है, वह सामाजिक वर्चस्व के भीतर आता है। इस प्रकार का वर्चस्व व्यक्ति के इच्छा से कायम किया जाता है।"[i] जैसे विवाह की उम्र के आधार पर भी एक वर्चस्व स्थापित किया जाता है जिसे एक महिला वर्चस्व न मानकर अपनी सहमति प्रदान करती है। इस पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं का सामाजीकरण इस प्रकार से किया जाता है कि वे इस वर्चस्व के ख़िलाफ आवाज़ नहीं उठाती बल्कि उसे सहज स्वीकृति प्रदान करती हैं।

समाज में वर्चस्व की अनेक स्थितियाँ देखी जाती हैं। जैसे- नश्ल। परन्तु विवाह के अंतर्गत ,लिंग ,वर्ग ,धर्म,जातिउम्र के आधार पर भी एक वर्चस्व की स्थिति बनती है और यह स्थिति कैसे लड़कें और लड़कियों के संदर्भ में बदलती जाती है इसे हम विवाह के लिए समाज और कानून द्वारा निर्धारित उम्र के माध्यम से समझ सकते हैं। भारतीय संविधान में लड़कें और लड़कियों के विवाह की एक निश्चित अवधि तय की गई है। जिसमें लड़कों के विवाह की उम्र 21 वर्ष निर्धारित है। इससे पहले विवाह करना 18 और लड़कियों की कानूनन अपराध है जिसके लिए सजा का प्रावधान भी है।

उम्र के आधार पर ही बड़ासम्मान -मान ,तुम-आप ,छोटा-घर के ज्या - की भावना का विकास होता है जैसेदातर फैसलें घर का बड़ा व्यक्ति ही लेता है लेकिन यहां भी लिंग के आधार पर एक अंतर देखने को मिलता है। विवाह की यदि हम बात करें तो अधिकांश मामलें में लड़कीलड़के से कुछ वर्ष छोटी ही रहती है , फिर वह चाहे वर्तमान समय की बात हो या भूतकाल की। जिसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण बाल विवाह की प्रथा हैबाल विवाह , की प्रथा बहुत लम्बे समय से ही हमारे समाज में व्याप्त है जिसके बारे 30" में प्राचीन धर्मग्रंथ मनुस्मृति में कहा गया है किवर्ष का पुरुष और वर्ष की 8 वर्ष का पुरुष और 14 वर्ष की कन्या या 12 कन्या का विवाह कर सकतेहैं और ये विवाह सबसे उत्तम है। लड़कियों का विवाह उनके रजोंधर्म होने से पहले ही कर देना चाहिए

RRIJM 2015, All Rights Reserved

जो पिता या भाई अपनी बेटी या बहन का विवाह उनके रजोंधर्म होने से पहले नहीं करता वो हर माह उसके गर्भ को गिराने का अपराधी बनेगा[ii]"।

19- 18वींवीं सदी में अंग्रेजों के आने के बाद जब उन्होंने इस तरह की फैली तमाम कुरीतियों को देखा जैसे – बाल विवाह , विधवा पुनर्विवाह का न होना आदि तो महिलाओं की ,सती प्रथा दयनीय स्थिति को देखते हुए उन्होंने भारतीयों को असभ्य और पूरी तरह से साफ नहीं था बल्कि वे भी इसी बहाने यहां के लोगों के धर्म को परिवर्तित कर अपनी संस्कृति और धर्म का विकास करना चाहते थे । देश के कुछ राष्ट्रवादियों ने भी ये महसूस किया कि महिलाओं की स्थिति वास्तव में बहुत खराब है और उसमें परिवर्तन की जरूरत है। लेकिन उन्होंने अपने आप को सही साबित करने के लिए ये कहना शुरू किया कि हमारे यहाँ की महिलाओं की ऐसी स्थिति पहले नहीं थी । ये स्थिति मुगल आक्रमणकारियों के आने के बाद हुई है क्योंकि वे लड़कियों को जबरन अगवा कर ले जाते थे और उनसे विवाह करते थे । जिससे रक्त की शुद्धता ख़त्म होती जा रही थी इसलिए लोग अपनी लड़कियों की शादी बचपन में ही कर देते हैं । पहले वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी और शिक्षा का भी अधिकार था । इस प्रकार राष्ट्रवादी समाजसुधारकों ने अंग्रेजों के सामने अपने सम्मान को बचाते हुए और ब्रिटिशों के मंसूबों को समझते हुए उन्होंने फैसला लिया कि चूँकि मुद्दा हमारी महिलाओं से जुड़ा है तो इसमें सुधार भी हम स्वयं करेंगे, इसके बाद अनेक राष्ट्रवादी समाजसुधारक जैसे राजाराममोहन राय, ईश्वरचंन्द्र विद्या सागर, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक आदि ने विधवा पुनर्विवाह का न होना, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया । लेकिन समाज सुधार करने के पीछे भी उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि उन्हें अपने आप को अंग्रेजों की नजर में सही साबित करना था और उनके द्वारा किये गये सुधार से इन्हें अपनी संस्कृति खतरे में पड़ती नजर आ रही थी दूसरा कारण यह भी रहा कि उस समय समाज में बाल विवाह, सती प्रथा, विधवाओं का विवाह न होना जैसी कुप्रथाएँ प्रचलित होने से कहीं न कहीं समाज के पुनरुत्पादन का कार्य भी प्रभावित हो रहा था । कई बार बहुत कम उम्र की पत्नी से बहुत ज्यादा उम्र के पति द्वारा संबंध बनाने के दौरान ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी । जिसका एक उदाहरण 'बंगाल की एक घटना दस वर्षीय फुलमणी की है जिसकी उसके वर्षीय पत 35ि हरिमोहन के साथ संभोग के दौरान ही मृत्यु हो गयी'[iii] ।

बाल विवाह कर देने से कई बार बच्चियां बहुत छोटी उम्र में ही विधवा हो जाती थीं और दूसरी तरफ विधवा पुनर्विवाह का भी कोई विकल्प न होने के कारण समाज में विधवाओं की संख्या बढ़ती जा रही थी । इससे समाज में एक महिला जो कि बच्चे को जन्म देकर समाज का पुनरुत्पादन करती हैवो पुनरुत्पादन का कार्य , भी बाधित हो रहा था और बहुत कम उम्र में ही विधवा हो जाने के बाद इन महिलाओं को पूरी जिन्दगी अकेले ही गुज़ारनी पड़ती थी । समाज में इनको बहुत ही अशुभ और हीनता की नजरों से देखा जाता था क्योंकि अब ये पुनरुत्पादन नहीं कर सकती इसलिए अब ये उनके किसी काम की नहीं होती थी। ऐसी स्थिति में ये विधवाएं अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए बहुत बड़ी संख्या में वेश्यावृत्ति में लिप्त हो गई । इसलिए पुनरुत्पादन को बढ़ाने के लिए और उनकी यौनिकता पर नियंत्रण के लिए भी ये जरूरी हो गया था कि बाल विवाह और अन्य कुप्रथाओं के ख़िलाफ आवाज़ उठायी जाय। इसके साथ ही कम उम्र में ब्याह कर देने से बहुत कम उम्र में ही बच्चें भी पैदा हो जाते थे जिससे कई बार प्रसव के दौरान ही माँ की मृत्यु भी हो जाती थी या होने वाले बच्चें शारीरिक रूप से बहुत कमजोर या अपंग पैदा होते थे । जिसका असर एक पूरी पीढ़ी के विकास पर पड़ता था।

जाति के आधार पर भी यदि देखें तो ये समस्याएँ ज़्यादातर उच्च जाति की महिलाओं से संबंधित थी । फुले ने एक आश्रम स्थापित किया जिसमें ऐसी महिलाएँ जो विधवा है और माँ बन गयी है वे अपने बच्चों को लाकर यहाँ पर इस शर्त पर रख सकती है कि बाद में वे उसे गोद ले लेंगी। इस आश्रम का उपयोग सबसे ज्यादा उच्च जाति की स्त्रियाँ ही करती थी। इस प्रकार यह उच्च जाति से जुड़े महिलाओं और उनकी यौनिकता की शुद्धता से जुड़ा मुद्दा होने की वजह से भी सुधारकों ने बाल विवाह की उम्र को बढ़ाए जाने का प्रयास किया ।

इन सारी समस्याओं को देखते हुए कुछ राष्ट्रवादी समाजसुधारक आगे आएं और बाल विवाह के खिलाफ आन्दोलन प्रारम्भ किये और विवाह की एक निश्चित उम्र निर्धारित करने पर विचार किया गया । जिनमें हरविलास शारदा का नाम सबसे प्रमुख हैं । इनके प्रयासों से में 1929'बाल विवाह नियंत्रक अधिनियम' पारित किया गया जिसे 'शारदा एक्ट' के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस विधेयक को शारदा ने प्रस्तुत किया था। हरविलास " शारदा ने सुझाव दिया कि विवाह के लिए कनॎया की उम्र 12 वर्ष निश्चित की जाए तथा व्यवस्था की जाए कि 15 और लड़कों की वर्ष की कन्या का विवाह भी 11 संरक्षक अधिकारियों से बात कर कर सकें । बाद में'बाल विवाह निरोधक कानून' के तहत लड़के के विवाह की आयु वर्ष निश्चित की गई । 14 और लड़की की 18 वर्ष कर दी गई 21 और 18 में विवाह की उम्र फिर से बढ़ाकर 1978 [iv]"जो अभी तक लागू है

इन तमाम सुधारों और लड़ाईयों के बावजूद भी लड़कें और लड़कियों के विवाह की उम्र बराबर नहीं है । हर बार लड़की

RRIJM 2015, All Rights Reserved

की उम्र लड़के से कम ही रही है और ऐसा करने के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि चूंकि लड़कियांलड़कों की अपेक्षा शारीरिक रुप , से पहले परिपक्व हो जाती हैं इसलिए यह अंतर है। परन्तु फिर भी इससे जुड़े बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बेहद मुश्किल होता जा रहा हैजैसे – क्या एक लड़की को विवाह के लिए सिर्फ शारीरिक रुप से ही परिपक्व होना जरुरी है या मानसिक रुप से भी परिपक्व होना ? यदि लड़की वर्ष में शारीरिक 21 और लड़का 18 और मानसिक रुप से परिपक्व हो रहे हैं तो फिर वोट का अधिकार 18) जो वयस्क होनेवर्ष का होने पर पर (दिया जाता है साथ ही वयस्क होने के आधार पर दिए जाने वाले वे सारें अन्य अधिकार जिनका प्रयोग व्यक्ति अपने हित के लिए स्वेच्छा से करता है उन सभी अधिकारों में लड़की की उम्र क्यों नहीं 21 और लड़के की 18 निर्धारित है? किन्तु विवाह को छोड़कर कहीं भी उम्र का ये फर्क देखने को नही मिलता है तो क्या हमारा संविधान लिंग के आधार पर भेद नहीं कर रहा है। जबकि "संविधान के अनुच्छेद (3) 15में ये प्रावधान है कि जातिवर्ग और लिंग के आधार पर किसी भी , [v]"व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त यदि विभिन्न धर्मों के निजी कानूनों के आधार पर विवाह की उम्र की बात करें तो हिंदू, सिक्ख, ईसाई, पारसी, इन सभी धर्मों में लड़के और 21 लड़की के विवाह की उम्र, वर्ष निर्धारित है जब 18कि 'मुस्लिम पर्सनल लॉ' के अनुसार मुस्लिम लड़की के विवाह की उम्र वर्ष निर्धारित 15की गयी है। इससे कम उम्र में भी उसके संरक्षक के संरक्षकता में विवाह किया जा सकता है। यहां पर भी यदि सार्वजनिक कानून (civil Low) के अनुसार देखे तो ये बाल विवाह अवरोधक अधिनियम का उलंघन हो रहा हैजो कि देश के सभी व्यक्तियों पर लागू है लेकिन , है इसलिए इसका विरोध भी नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार ये समझा जा सकता है कि हमारा संविधान कितनी गहरी पितृसत्तात्मक सोच से ग्रसित है और अपने आप में कितना उलझा हुआ है। महिलाओं को जहाँ एक तरफ से थोड़ी बहुत आज़ादी मिल भी रही है तो दूसरी तरफ प्रत्येक धर्म के निजी कानून के अंतर्गत आते ही बहुत सीमित हो जा रही है। यहाँ समानता तो सिर्फ़ औपचारिक रूप से देखने को मिलती है जबकि वास्तविक समानता तो कुछ और ही है। स्पष्ट रूप से देखा जाए तो कानूनी सुधारों ने महिलाओं की किसी ऐसी पहचान का निर्माण नहीं किया जो इन्हें पितृसत्ता से स्वतंत्रता देती हो या उन्हें पुरुषों के साथ बराबरी दिलाने में सफल रही हों। दरअसल इन कानूनों ने परिवार और विवाह जैसी संस्थाओं में महिलाओं के कई अधिकारों को नकारा साथ ही इन कानूनों ने परिवार में महिलाओं की पुरुषों पर निर्भर पत्नियों या माताओं की छवि को ही मज़बूती दी और सार्वजनिक, निजी के अंतर को कायम रखा।

उम्र का ये फासला और वर्चस्व कानूनी व्यवस्था से लेकर पूरी सामाजिक संरचना तक जड़े जमाए हुई है। जिन विवाहों में लड़कीलड़के से बड़ी होती है या शारीरिक र ,ुप से भी यदि वो देखने में बड़ी लगती है तो भी वो विवाह लोगों के आश्चर्य और चर्चा का विषय बन जाता है। इसलिए ऐसी लड़कियों के विवाह के लिए माँबाप बहुत जल्दी ही परेशान होने लगते है। जिसका सटीक - उदाहरण चन्दन अरोरा द्वारा निर्देशित फिल्म'मैं मेरी पत्नी और वो'[vi] तथा दूसरी फिल्म 'दम लगा के हईसा'है[vii] जिसमें ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि यदि पत्नी, पति से कद में ऊंची, मोटी और ज्यादा पढ़ीलिखी हो तो उसे और उसके पति को समाज में - किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। विवाह के -किन लिए हमेशा लड़की का उम्र में कम होनाशारीरिक रुप से ,सुन्दर , मांसल और परिवार के सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने वाली होना जरुरी होता है। ऐसी लड़की ही विवाह के लिए आदर्श मानी जाती है।

हांलाकि उम्र के ये फासलें अब टूट भी रहे हैं और बहुत से ऐसे विवाह भी हो रहे हैं जिनमें लड़कियांलड़कों , से बड़ी होती हैं। इस संबंध में कुछ चर्चित हस्तियों के नाम भी हैं जैसेक्रिकेट स्टार - सचिन तेंदुलकर और उनकी पत्नी अंजली जो उनसे उम्र में पांच अभी हाल ही में अमेरिका के मशहूर गायक निक जोनस और भारत की चर्चित अभिनेत्री और पूर्व विश्व सुंदरी प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई है। निक जोनस, प्रियंका से दस साल छोटे हैं जब इनका विवाह हुआ तो मीडिया ने इसे एक आश्चर्यजनक और मसालेदार खबर के रुप में न्यूज चैनलों और समाचार पत्रों में प्रमुखता से छापा और ये खबर बहुत लम्बे समय तक लोगों के आश्चर्य और चर्चा का विषय भी बनी रही और साथ ही इनके मज़ाक उड़ाने वाले तमाम चुट्कुले और कार्टून भी बने । यह तो हुई चर्चित हस्तियों की बात जबकि वास्तविकता ये है कि एक आम व्यक्ति अपने जीवन में इस तरह का विवाह नहीं करना चाहता और यदि करता भी है तो उसे खुलकर स्वीकार लेने से कतराता है क्योंकि समाज में ऐसे रिश्तों को आसानी से स्वीकृती प्रदान नहीं की जाती है।

उम्र का ये फासला व्यक्ति के मस्तिष्क पर इस कदर हावी है कि लड़कों का आकर्षण या प्रेम भी अक्सर अपने से कम उम्र की लड़की या ज्यादा से ज्यादा हमउम्र की लड़की के साथ ही होता है इसके विपरीत लड़कियां भी अपने से ज्यादा या हमउम्र के लड़के के साथ ही प्रेम या विवाह करना पसंद करती हैं। यदि छोटी उम्र के लड़के को अपने से बड़ी उम्र की लड़की से या बड़ी उम्र की लड़की को खुद से छोटी उम्र के लड़के से प्रेम हो जाता है तो बहुत कम ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने प्रेम को खुलकर स्वीकार करते हैं

RRIJM 2015, All Rights Reserved

क्योंकि वें अपनी इस सोच से अन्दर ही अन्दर अपराध और हीनता का बोध करते हैं।

इस प्रकार ये सारे बंधन इस खोखली समाज व्यवस्था द्वारा ही निर्मित किए गए हैं। विवाह के उम्र के माध्यम से पुरुषवादी वर्चस्व महिलाओं पर इस प्रकार स्थापित किया गया है कि महिलाएं इसे वर्चस्व न मानकर बड़ी ही सहजता से स्वीकार करती हैं और अपनी सहमती प्रदान करती हैं और पुरुष उम्र में बड़े होने के साथ ही एक पुरुष होने के आधार पर भी हमेशा वर्चस्व की स्थिति में बना रहता है। वस्तुतइस तरह के विचार किसी विशेष राजनीति के तहत ही : निर्मित किए गए। फिर वो चाहे उम्र के आधार पर हो या सामाजिक, मानसिक आधार पर जिसे यथावत बनाए रखने में हमारी कानून व्यवस्था भी अकसर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

संदर्भ ग्रंथ

---

[i] Gramsci's theory of cultural hegemony.
[ii] मनुस्मृति
[iii] गुप्ता चारु,.(2012) स्त्रीत्व से हिन्दुत्व तक,राजलमल प्रकाशन, पृष्ठ 106
[iv] डॉ भट्ट कुसुम,(2006).बाल विवाह, यूनिवर्सिटी बूक हाउस, जयपुर,पृष्ठ 27
[v] डॉ पाण्डेय नारायण जय,.(2013)भारत का संविधान, पृष्ठ 130
[vi] फिल्म मैं मेरी पत्नी और वो -,निर्देशकचन्दन अरोरा -,2005
[vii] फिल्म – दम लगा के हईसा, निर्देशक - शरत कटारिया, 2015